LATEST EDITON

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान 3rd ग्रेड

(REET मुख्य परीक्षा हेतु)

2 LEVEL

HANDWRITTEN NOTES

भाग-2 राजस्थान का सामान्य ज्ञान + शैक्षिक परिदृश्य

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान 3rd ग्रेड

REET LEVEL - 2

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 2

राजस्थान का सामान्य ज्ञान + शैक्षिक परिदृश्य

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान 3rd ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल – 2 हेतु)** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान 3rd ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल – 2)" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/***

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Online Order at ➡ https://bit.ly/3rd-grade-mains-notes

Whatsapp Link – https://wa.link/hx3rcz

Contact us at – 8233195718 + 8504091672

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2022)

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

1. राजस्थन के प्रतीक चिह्न 1
2. राजस्थान की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं 5
   - राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनायें
3. राजस्थान के अनुसंधान केंद्र 22
4. राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल 27
5. राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी 29
6. राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि 31
7. राजस्थान के प्रमुख उद्योग 31
8. राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (परिचय) 36

शैक्षिक परिदृश्य

1. शिक्षण अधिगम के नवाचार 95
2. राजस्थान व केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार 101
3. विद्यलय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ 106
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 (राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में) 113

निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

1. निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित 115
2. राजस्थान निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम 2011 120
3. राजस्थान के निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश 125

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

अध्याय – I

राजस्थान के प्रतीक चिह्न

(State Symbol of Rajasthan)

1. राजस्थान राज्य पशु (Rajasthan State Animal):- चिंकारा (chinkara) (वन्य जीव श्रेणी)

- **चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा** – 22 मई , 1981
- **चिंकारे का वैज्ञानिक नाम** – गजेला – गजेला
- चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है ।
- राज्य में सर्वाधिक चिंकारे **जोधपुर** में देखे जा सकते हैं ।
- चिंकारे को **छोटा हिरण** के उपनाम से भी जाना जाता है ।
- चिंकारों के लिए **नाहरगढ़ अभयारण्य (जयपुर)**प्रसिद्ध हैं ।
- "चिकारा" नाम से राजस्थान में एक तत् वाद्य यंत्र भी है।
- चिंकारा **श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर** है।

2. राजस्थान राज्य पशु (Rajasthan State Animal) : ऊंट(Camel) (पशुधन श्रेणी)

- 30 जून, 2014 को बीकानेर मे हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया गया
- **ऊँट को राज्य पशु का दर्जा** – 19 सितम्बर 2014
- **ऊँट वध रोक अधिनियम** – दिसम्बर 2014
- ऊँट का वैज्ञानिक नाम "**कैमेलस ड्रोमेडेरियस**" है ।
- ऊँट को अंग्रेजी में "केमल" के नाम से जाना जाता हैं ।
- ऊंट को स्थानीय भाषा में **रेगिस्तान का जहाज या मरूस्थल का जहाज** (कर्नल जेम्स टॉड) के नाम से जाना जाता है ।
- राजस्थान में भारत के 81.37 प्रतिशत (2012) ऊँट पाये जाते हैं ।
- ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है
- राजस्थान की कुल पशु सम्पदा ऊँट सम्पदा का प्रतिशत 0.56 प्रतिशत है ।
- राज्य में **जैसलमेर सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला** है । **प्रतापगढ सबसे कम ऊँटों वाला जिला** है।
- **ऊँट अनुसंधान केन्द्र जोहड़बीड (बीकानेर)** में स्थित है । ऊंट प्रजनन का कार्य **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्** द्वारा संचालित किया जा रहा है
- **कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर** में स्थित है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया । ऊँटनी के दूध में कैल्सियम मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इसके दूध का दही नहीं जमता है ।
- ऊँटनी का दूध मधुमेह (डायबिटिज) की रामबाण औषधि के साथ-साथ यकृत व प्लीहा रोग में भी उपयोगी है ।
- भारतीय सेना के नौजवान थार मरूस्थल में नाचना ऊँट का उपयोग करते हैं ।
- जैसलमेर के **नाचना का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध** है ।
- गोमठ – फलौदी-जोधपुर का ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है ।
- बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है । इसलिए बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है । राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं ।
- ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता हैं । ऊँटों के बीमार होने पर रात्रिकाल में पाबूजी की

- ***वास्तुकार – विद्याधर भट्टाचार्य***
- *जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है ।*
- *जयपुर का **निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एर्लग** के आधार पर करवाया गया है ।*
- *जयपुर का **निर्माण चौपड़ पैटर्न** के आधार पर किया गया है ।*
- *जयपुर को **गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय रामसिंह द्वितीय** को है ।*

10. राजस्थान राज्य लोक नृत्य (Rajasthan State Folk Dance) : घूमर (Ghoomar)

- *घूमर को **राज्य की आत्मा के उपनाम** से जाना जाता है*
- *घूमर के तीन रूप है*
- *झूमरिया – बालिकाओ द्वारा किया जाने वाला नृत्य*
- *लूर – गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य*
- *घूमर इसमे सभी स्त्रियां भाग लेती है*

अध्याय – 2

राजस्थान की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनायें

वित्तीय क्षेत्र की योजनाएं

भामाशाह योजना

भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को हस्तांतरित करती है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया।

विभिन्न नकदी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, भास्कर स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार, छात्रवृत्ति, राशन वितरण आदि जैसे गैर-नकद योजनाओं का लाभ भामाशाह मंच के माध्यम से किया गया है।

उद्देश्य: *वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण।*

मुख्य विशेषताएं:

- *प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की परिकल्पना सबसे पहले, 2008 में की गई थी लेकिन अन्तत 2014 में पुनर्निर्माण और लॉन्च किया गया।*
- *भामाशाह कार्ड के माध्यम से अनेक लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ स्थानांतरित किया गया है।*
- *गैर नकद लाभ भी सीधे हकदार लाभार्थियों को दिया जाता है*

क्रियाविधि :

- *घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर बैंक खाते खोले जा रहे हैं और पूरे राज्य में परिवारों को यह भामाशाह कार्ड दिए जा रहे है।*

- सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी नकद लाभ सीधे इन बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के गैर-नकद लाभों के हस्तांतरण के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भामाशाह योजना में, नामांकन के समय, परिवार की पूरी जानकारी और उसके सभी सदस्यों को भामाशाह कार्ड में जोड़ा जाता है। सभी सरकारी योजनाएं जिसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य हक़दार हैं, उनकी जानकारी (जैसे पेंशन नंबर, नरेगा नौकरी कार्ड संख्या आदि) भी भामाशाह से जोड़ी जाती हैं। व्यक्तिगत लाभार्थियों का बैंक खाता भी भामाशाह से जुड़ा होता है, जो कि उनके बैंक खातों में नियत तारीख पर सरकारी योजनाओं (पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदि) का लाभ पहुँचा दिया जाता है।
- भामाशाह योजना का नामांकन ई-मित्रा काउंटर पर बदला जा सकता है।
- लाभार्थी को निकासी की सुविधा के लिए रुपये डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है।
- नकद लाभों के अलावा, भामाशाह योजना के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण से उचित मूल्य वाली दुकानों से राशन वितरण जैसे अन्य लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- भामाशाह प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए JAM(जन धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी का लाभ उठा सकता है।

भामाशाह कार्ड:

- बॉयोमीट्रिक कार्ड
- केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष सदस्य भी निम्न प्रकार के भामाशाह कार्ड बना सकते हैं।

परिवार कार्ड:

- भामाशाह कार्ड परिवार की महिला प्रमुख को राज्य सरकार द्वारा निः शुल्क प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड, UID (आधार) के माध्यम से लाभार्थी की बॉयोमीट्रिक पहचान लेता है और अपने मुख्य सक्षम बैंक खाते के साथ संबंध सुनिश्चित करता है।

व्यक्तिगत कार्ड:

- नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्ड, पहचान पत्र होने के अलावा, व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित भी करता है जैसे पेंशनभोगी; असंगठित श्रमिक आदि।

अन्नपूर्णा भंडार योजना:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए PPP मॉडल राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पेश की। यह योजना 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के भमभोरी गांव से लोगों को गांव-गांव तक ब्रांडेड उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।

राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से बहु-ब्रांड उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना को पहले चरण में 5,000 राशन की दुकानों के माध्यम से लागू किया गया था।

पात्रता:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल व्यक्ति और परिवार इसके लिए पात्र हैं

सकारात्मक परिणाम:

- अन्नपूर्णा स्टोर जहां आधुनिक खुदरा का लाभ PDS की दुकानों के माध्यम से राज्य के लोगों तक पहुँचाया जाता है को ग्रामीण मॉल के रूप में घोषित किया गया है। इन उचित मूल्य की दुकानों पर अब अनाज, सब्जी, चीनी इत्यादि के साथ ही फ्यूचर ग्रुप के पोर्टफोलियो द्वारा ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पाद भी प्राप्त होंगे। यह योजना 5000 FPS डीलरों के साथ एक उद्यमिता ड्राइव बन गई है इसने डीलरों की

बिक्री बढ़ा दी है और उन्हें मुनाफे का संचालन करने की अनुमति भी दी है।

जन स्वास्थ्य सेवा योजनाएं

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों का खर्चा स्वास्थ्य पर कम करना है।

विशेषताएं:

यह योजना IPD रोगियों को नकद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए सरकार (मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग) द्वारा बीमा कंपनी "न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी" के माध्यम से अस्थाई तौर पर प्रति वर्ष एक निश्चित प्रीमियम प्रति परिवार के लिए निश्चित किया गया है

योजना का उद्देश्य:

- सरकारी पैसे को बचाने करने के लिए
- ऐसी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्रदान करने के लिए जो जेब पर बड़ा असर न डाले
- बीमारी के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- राज्य की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए
- एक ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए जो हेल्थकेयर नीति परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
- ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति लाने के लिए - निजी संस्थाओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को खोलने का बढ़ावा प्रदान करके सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए।

पात्रता:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- हर योग्य परिवार को हर साल सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च व भर्ती से 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है।
- भामाशाह योजना के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस योजना में 1715 रोग शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, नेफ्रोलॉजी, ग्रेस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मनश्चिकित्सा सहित 300 से अधिक विशेषता उपचारों के नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे।
- भामाशाह योजना से पहले, चल रही योजनाओं में केवल दवाएं और चेक नकद में उपलब्ध थे, लेकिन अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी चेक, उपचार, डॉक्टर की फीस, संचालन आदि शामिल किए गए हैं।

अंतरा इंजेक्शन योजना:

- गर्भनिरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा से अंतरा इंजेक्शन योजना शुरू की है।
- इंजेक्शन 3 महीने के लिए कारगर है और इसे इच्छुक जोड़ों के लिए सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

मिशन इंद्र-धनुष:

- यह घातक रोगों के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है।
- यह एक विशेष अभियान है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को एक भी वैक्सीन से वंचित नहीं किया गया है।
- इस योजना में 9 घातक रोगों जैसे पोलियो, टीबी, डिप्थेरिया, होपिंग खांसी, टिटनेस, डायरिया,

और झालावाड़ का चुनाव अमृत मिशन के अंतर्गत हुआ है।

इस मिशन के तहत आने वाले क्षेत्र जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियां, शहरी परिवहन और ग्रीन स्थल हैं।

'मेरा शहर, खुशहाल शहर' कार्यक्रम

राजस्थान सरकार ने अपने बड़े शहरों में खुशी सूचकांक को मापने का फैसला किया है। इसे 'मेरा शहर, खुशहाल शहर' कार्यक्रम का नाम दिया गया है, राज्य सरकार ,राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में से सबसे ज्यादा खुश,सबसे अनुकूल और सबसे साफ शहर का चुनाव करेगी।जिला मुख्यालय में रहने वाले लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहरों का मूल्यांकन करेंगे, जो 30 जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। निवासियों को चार विकल्पों में से उनकी रेटिंग देने के लिए कहा जाएगा - संतुष्ट, संतुष्ट नहीं, खुश और बहुत खुश।

उदय योजना:

राजस्थान सरकार ने अपनी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMS) के साथ उदय (उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन का राज्य DISCOMS क्षेत्र जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVNL), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVNL) शामिल हैं।

इसी के साथ राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद उदय योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

उज्जवला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) की विशेषताएं:

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊर्जा वितरण कंपनियों के आर्थिक पुरुत्थान के लिए उज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना शुरू की है।

औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे के आधार पर डिस्कॉम के संचालन और वित्तीय ऋण-भार को कम करने के उद्देश्य से व प्रति यूनिट विद्युत खर्च और राजस्व प्राप्ति के अंतर को कम करने के लिए 20.11.2015 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना अधिसूचित की गई।

भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोणीय समझौते ज्ञापन पर 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सभी तीन हितधारकों की जिम्मेदारियां तय की गई थीं।

राजस्थान सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2016 को उदय योजना के समझौता ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 को बकाया ऋण राशि के 75 प्रतिशत राशि का भार 2 में वर्षों वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 50 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 25 प्रतिशत वहां किया जायेगा।

राजस्थान सभी शहरी स्थानीय निकायों में LED स्ट्रीट लाइट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया

राजस्थान अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में केंद्र की स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया।

राज्य में लगभग 5 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को LED स्ट्रीट लाइट से बदल दिया गया है। पूरी सड़क पर प्रकाश परियोजना को ऊर्जा दक्षता सेवा सीमित (EESL)द्वारा राज्य पे बिना कोई भार डाले वित्त पोषित किया गया था। EESL ऊर्जा सेवा कंपनी, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, SLNP भारत सरकार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना (MMGGY)

निर्जन क्षेत्र और बिखरी ढानियों के घरेलू घरों को बिजली प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। पहले चरण में, इच्छुक ग्रामीणों ने नवंबर 2016 तक 100 रुपए पंजीकरण फीस के रूप में जमा किए हैं।

मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान (MMVSA)

राज्य में ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को अच्छी सुचारु, निरंतर और गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से राज्य में MMVSA कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि बिजली व बिजली सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके और AT&C का घाटा 15 फीसदी तक घटाकर बिजली दरों को नियंत्रित किया जा सके। यह कार्यक्रम तीन चरणों में क्रियान्वित होगा।

- प्रथम चरण- दिसंबर, 2016
- द्वितीय चरण-जून, 2017
- तृतीय चरण- दिसंबर, 2017

अध्याय – 3

राजस्थान के अनुसंधान केंद्र

1. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान – अविकानगर जिला टोंक

यह संस्थान राजस्थान के अविकानगर (टोंक जिले) में मालपुरा के पास स्थित है। इसे 1962 में स्थापित किया गया था । यह संस्थान भेड़ और खरगोश के क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) का एक प्रमुख संस्थान है। इसके तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी कार्यरत हैं, जो निम्न हैं-

1. उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र (North Temperate Regional Station-NTRS) गर्सा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में है, जिसे 1963 में स्थापित किया गया।

2. दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (Southern Regional Research Centre-SRRC) मन्नावानुर, तमिलनाडु में 1965 में स्थापित किया गया था।

3. इसका शुष्क क्षेत्र कैम्पस (Arid Region Campus-ARC) राजस्थान के बीकानेर में 1974 में स्थापित किया गया था।

2. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान – जोधपुर

राजस्थान में मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने एवं संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थाई प्रबंधन हेतु 1952 में **मरू वनीकरण केंद्र** की स्थापना **जोधपुर** में की गई । जिसका बाद में 1957 में **मरू वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र** के रूप में विस्तार हुआ तथा अन्ततः 1959 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के अधीन **केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी)** के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। यह संस्थान 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियंत्रण में आया। काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग कार्यरत हैं। इसके **चार क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र** विभिन्न कृषि-

नोट – प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नही दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी "राजस्थान 3rd Grade Level – 2 (REET मुख्य परीक्षा)" में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप "INFUSION NOTES" के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें – 8233195718, 8504091672, 9694804063, 9887809083,

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम –

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -I, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

FREE SAMPLE

राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें –

RAS PRE. – https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s

VDO PRE. – https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari – https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE	Website- https://bit.ly/3rd-grade-mains-notes
PHONE NUMBER	+918504091672 9887809083 +918233195718 9694804063
TELEGRAM CHANNEL	https://t.me/infusion_notes
FACEBOOK PAGE	https://www.facebook.com/infusion.notes
WHATSAPP करें	https://wa.link/hx3rcz

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	अनुच्छेद 164 (1) के तहत राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है ।
विधिक उत्तरदायित्व	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है ।

मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य-

- मंत्रिपरिषद् राज्य के प्रशासन के संचालन के लिये विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है ।
- मंत्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक , आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिये विकासकारी योजनाएँ बनाती है ।
- मंत्रिपरिषद् विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है ।
- बजट तैयार करना व स्वीकृत करना
- राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना
- कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण
- राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण राज्य के प्रशासन का संचालन (उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना)

राज्य विधान मण्डल

- संविधान के ***छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक*** राज्य विधानमंडल की संरचना , गठन , कार्यकाल , प्रक्रियाओं , विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

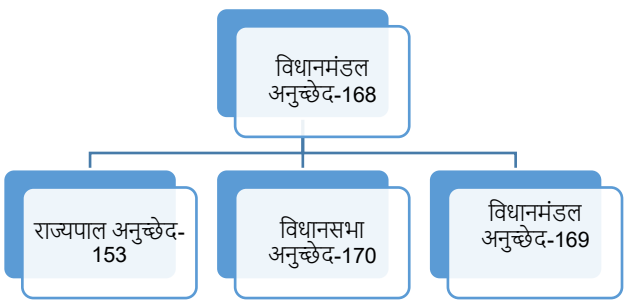

राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा

- ***अनुच्छेद 170 के अनुसार*** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।(फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है ।

NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404) , पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

NOTE : - दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है । जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद् के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।

- ***अनुच्छेद 170*** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।

- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

- **NOTE** - विधानपरिषद के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।
- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद है 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक

- **NOTE** – अप्रैल, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद की संख्या 66 निर्धारित की गई थी । इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद की संरचना
संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है ।
NOTE : - इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है

निर्वाचन पद्धति : - विधानपरिषद के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।
विधान परिषद के कुल सदस्यों में से -
(i)1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका , जिला परिषद आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है ।

(ii)1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

(iii)1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य , ज्ञान , कला , सहकारिता , समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।

(iv) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं ।

(v)1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।
इस प्रकार विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता ।
NOTE-राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

विधान परिषद एवं सदस्यों का कार्यकाल :

राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं ।
इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए सदस्य बनता है । खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है ।
सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं ।

अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि
अनुच्छेद 172 (1) विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है ।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष

अनुच्छेद 186 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधानपरिषद् के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है ।

- इनके वेतन - भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है । इनके वेतन - भत्ते राज्य को संचित निधि में से दिये जाते हैं ।
- इनके वेतन - भत्तों का उल्लेख अनुसूची -2 में मिलता है ।
- वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 तथा उपाध्यक्ष का 65,000 है ।

अनुच्छेद 188 विधानमण्डल के सदस्यों की शपथ / प्रतिज्ञान का उल्लेख

- विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति **द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ** दिलाई जाती है ।
- इनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है ।

अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों को कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

- **इस अनुच्छेद में विधानसभाध्यक्ष / सभापति के निर्णायक मत का उल्लेख है ।**
- सामान्यतः अध्यक्ष / सभापति मत नहीं देगा लेकिन जब किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाये तो अध्यक्ष / सभापति निर्णायक मत का प्रयोग करेगा ।
- इस अनुच्छेद में राज्य विधानमण्डल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) का उल्लेख है ।
- बैठक के लिए कोरम कुल विधानसभा सदस्यों का या न्यूनतम 10 सदस्य इन दोनों में से जो भी अधिक हो बैठक / अधिवेशन के लिए आवश्यक है ।
- यदि राज्य की विधानसभा / विधानपरिषद् के अधिवेशन के समय गणपूर्ति 10 पूरी नहीं है तो अध्येक्ष / सभापति का कर्त्तव्य बनता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।

अनुच्छेद 191 के अनुसार विधानमण्डल के सदस्यता के लिए निरहर्ताएँ

(i) लाभ का पद ग्रहण किया हो ।
(ii) वह विकृतचित्त हो ।
(iii) वह संसद के किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमण्डल सदस्यों की निरर्हताओं (अयोग्यता) से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय अनुच्छेद 197 मे वर्णित अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं तो इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा । ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले , राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

NOTE- अनुच्छेद 164 B (91वें संविधान संशोधन 2003) के तहत प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य पुन विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने तक मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।

विधानसभा की शक्तियाँ

- राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ।
- राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है ।
- विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्ति के आधार पर की जाती है ।
- धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यों में पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है ।
- कोई विधेयक धन विधेयक **(अनुच्छेद 199)** है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।
- धन विधेयक व वित्त विधेयक को पारित करने के संबंध में विधानसभा शक्तिशाली है क्योंकि राज्यों में किसी भी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है तथा दोनों सदनों के मध्य ५ माह से अधिक अवधि तक मतभेद बरकरार रहने की स्थिति में विधानसभा द्वारा पुन पारित विधेयक को पारित मान लिया जाता है ।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं तथा इनका कार्यकाल भी विधानसभा पर निर्भर करता है ।
- विधानसभा मंत्रीपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव से पद मुक्त कर सकती है ।

- ***उच्च न्यायालय***

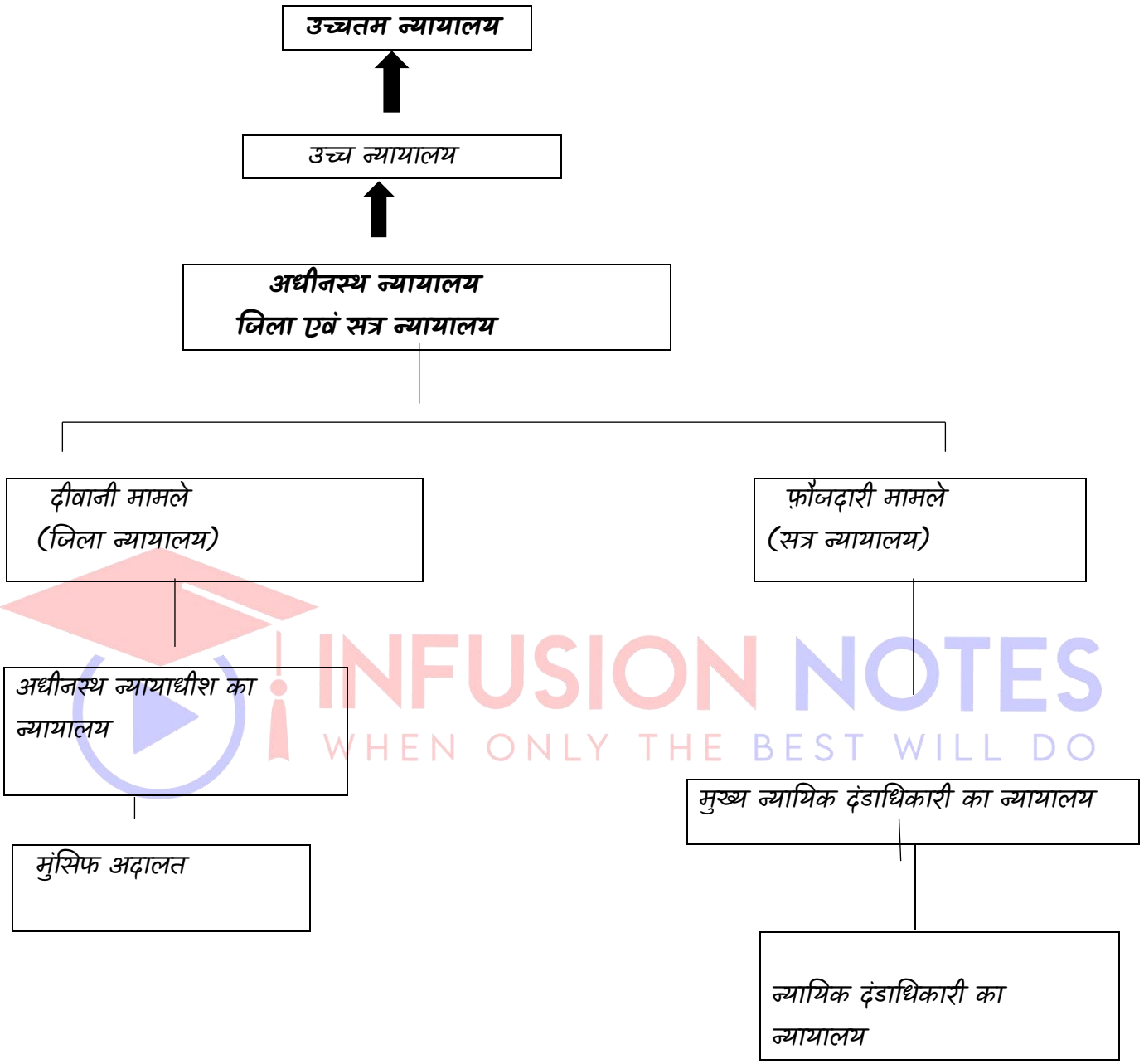

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता , बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ ।
- वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई ।
- भारतीय संविधान के **भाग -6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ।

- **अनुच्छेद 214** के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन **अनुच्छेद 231** के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की
- व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है । (7 वें संविधान 1956 के तहत्)

- **अनुच्छेद 230 के तहत्** ससद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है ।

पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे । मार्च 2013 में मेघालय , मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।

- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं । 25 वां उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य का जो । जनवरी , 2019 अमरावती में स्थापित हुआ है ।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष1966 से) है । **NOTE :** - जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू - कश्मीर राज्यों को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया । इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी उच्च न्यायालय था लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू - कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में यथास्थित रहेगा ।
- निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय है
  (i) पंजाब , हरियाणा , चंडीगढ़ : - चंडीगढ़ उच्च न्यायालय
  (ii) महाराष्ट्र , गोवा , दमन व दीव , दादर एवं नागर हवेली- बॉम्बे उच्च न्यायालय
  (iii) असम , अरुणाचल प्रदेश , नागालैण्ड , मिजोरम : - गुवाहटी उच्च न्यायालय
  (iv) तमिलनाडु , पुडुचेरी : - मद्रास उच्च न्यायालय
  (v) केरल , लक्षद्वीप - एर्नाकुलम उच्च न्यायालय
  (vi) प . बंगाल , अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह:- कलकत्ता उच्च न्यायालय

गठन

अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे । संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है । राष्ट्रपति समय - समय पर आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं ।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो ।या किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है ।
- कॉलेजियम की अनुशंसा पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संदर्भ में पहल करते हैं ।
- इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) के पास नाम भेजे जाते हैं । यह कॉलेजियम राष्ट्रपति को इस सन्दर्भ में अनुशंसा करते हैं ।

NOTE: - 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा SC एवं HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया लेकिन SC ने इस संशोधन एवं अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया । वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- अनुच्छेद 223 के तहत जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायायल के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
  अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है ।

- अतिरिक्त का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के लिए है । जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं की जाती ।
- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को

नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

अध्याय – I

नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित

RTE – Right to Education – 2009

- आजादी से पूर्व भारत में 1835 में लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कि नींव रखी। तथा निस्मंदन सिद्धांत दिया जिसका उद्धेश्य था - " भारत में वो बाबू तैयार करना जो सूरत से भारतीय तथा अक्ल से अंग्रेज हो।"
- 1854 में वुड डिस्पेच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा (महाधिकार पत्र) कहा जाता है। डिस्पैच का अर्थ है - सरकारी पत्र "
- नोट :- वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्नाकार्टा (जनक) कहा जाता है।
- 1937 महात्मा गाँधी ने वर्धा योजना के दौरान नई तालीन (शिक्षा) या आधारभूत शिक्षा या बेसिक शिक्षा के द्वारा 14 वर्षों तक के विधार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की बात कही। जिसमें सभी विधार्थियों को सामाजिक जीवन से संबंधित जीविकोपार्जन की शिक्षा प्रदान की जाये।
- नोट :- भारत में 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने नि: शुल्क शिक्षा प्रदान की मांग उठाई थी।
- आर. टी. ई. का इतिहास :-
- 1947 में आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनु. 45 में यह व्यवस्था की गई है कि - " 6 -14 वर्ष तक के बच्चों को आजादी के 10 वर्ष बाद अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था कर दी जायेगी।"
- देश में शिक्षा में मूल अधिकार बनाने की बात 1997 के बाद अधिक जोर पकड़ने लगी जब.....ने इसे विधार्थी का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। जिसका परिणाम 1 दिसम्बर 2002 को 86 वें संविधान संशोधन के अनु० 21 ए भाग 3 में इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है।

नोट :- अनु. 45 में 0-6 वर्ष (बचपन की देखभाल) शेष रहा है। परन्तु अब समस्या यह थी कि इस सम्पूर्ण देश में लागू कैसे किया जाये। इसके लिये आर.टी.ई. का उदय हुआ।

आर.टी.ई. कि कानूनी प्रक्रिया :-

20 जुलाई 2009 राजयसभा में पारित

4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित

1 अप्रेल 2010 पूरे देश में लागू

नोट :- आर.टी.ई. जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है।

आर.टी.ई. की संरचना :-

अध्याय-(1) प्रस्तावना ।

अध्याय-(2) नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम।

अध्याय-(3) समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता - पिता के कर्तव्य

अध्याय-(4) विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व

अध्याय-(5) प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना। और उसे पूर्ण करना।

अध्याय-(6) बाल संरक्षण अधिनियम(2005) / बाल अधिकारी संरक्षण अधिनियम (2005)।

अध्याय-(7) प्रकीर्ण (विशेषाधिकारों को शामिल किया गया।

नोट :- आर.टी. ई. एक्ट का सबसे बडा अध्याय-अध्याय (4) है।

बाल संरक्षण अधिनियम (2005) - बालक के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

आर. टी. ई. कि धाराएं :-

धारा (3) - देशभर में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक निशुल्क शिक्षा।

धारा (4) - आयु के अनुसार कक्षा कक्ष में स्थान देना।

धारा (5) - बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार होगा।

धारा (6) - कक्षा 1 से 5वीं 1 किमी. के दायरे में व 6 से 8वीं तक 2 किमी. के दायरेमें विद्यालय की व्यवस्था रहेगी।

धारा (7) - अधिनियम की वित्तीय स्थिति का उल्लेख।

धारा (10) - माता - पिता के दायित्व व कर्तव्य।

धारा (12) - निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

धारा (13) - यह उल्लेखित करती है कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की डोनेशन व कैपिटेशन फीस (शुल्क) नहीं लिया जायेगा। तथा माता - पिता का किसी प्रकार साक्षात्कार नहीं होगा।

धारा (14) - आवश्यक प्रमाण - पत्र से मुक्ति।

धारा (15) - यह बच्चे की Addmission date को तय करती है। इसके अनुसार बच्चों के प्रवेश की तिथी 30 सितम्बर है। लेकिन इसके आने पर भी बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

धारा (16) - विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका (अवरोधन) नहीं जायेगा। जब तक वह प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर लें।

धारा (17) - विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

धारा (19) - के अनुसार किसी भी स्कूल को उचित मापदंड पूरा न करने की स्थिति में पहले (आर्थिक) दण्ड तथा इसके पश्चात मान्यता रद्द करने का प्रावधान है।

धारा (21) - प्रत्येक स्कूल में एस. एम. सी. (स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी) का गठन किया जायेगा। जिसका कार्य स्कूल के क्रिया कलापों एवं विकास की देखरेख करना है, जिसमें 15 सदस्य हों।

धारा (23) - अध्यापक की योग्यता का वर्णन।

धारा (24) (1) - यह शिक्षकों के दायित्वों को तय करती है।

<u>शिक्षक के निम्न दायित्व बताये गये हैं</u> :-

1. स्कूल में नियमित आयेंगे।
2. पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे।
3. पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय की जायेगी। आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षायें भी लेंगे।
4. माता - पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे।
5. सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेंगे।
6. प्रति सप्ताह 45 कालांश।

धारा (27) - शिक्षक को जनगणना, आपदा चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जायेगा।

धारा (28) - कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता है।

धारा (29) - पाठ्यक्रम - सर्वांगीण विकास पर बल, मूल्य आधारित शिक्षा, मातृ भाषा में शिक्षा व गतिविधिपूर्ण शिक्षा बल।

धारा (30) - 8 वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्यता की समाप्ति।

धारा (38) - राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है।

(1). अध्यापकों की संख्या :-

1. कक्षा 1 से 5 तक :-

   1- 60 छात्र पर = 2 अध्यापक

   61 - 90 छात्र पर = 3 अध्यापक

   91 - 120 छात्र पर = 4 अध्यापक

   121 - 150 छात्र पर = 5 अध्यापक

   151 - 200 छात्र पर = 5 अध्यापक व 1 मुख्य अध्यापक।

   छात्र - शिक्षक अनुपात = 40 : 1 (200 से अधिक होने पर)

2. कक्षा 6 से 8 तक - प्रति 35 छात्रों पर = 1 अध्यापक अनिवार्य तथा निम्न विषयों के अध्यापक प्रति कक्षा

   गणित

   विज्ञान

   सामाजिक विज्ञान

   भाषा।

अध्याय - 2

राजस्थान निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम 2011

राजस्थान में RTE-2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु 'राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की गई तथा इस अधिनियम में 10 अध्याय 29 धाराओं का उल्लेख किया गया हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) की धारा 38 द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसके संदर्भ में निम्न नियम एवं धाराएं बनाई हैं जिसका पालन कर शिक्षा के अधिकार का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके।

राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE -2011 के अध्याय एवं धाराएं

धारा 1- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः-

इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, **2011 हैं।**

अध्याय- 1 प्रारम्भिक भूमिका

धारा -2-परिभाषाएं

- निदेशक प्रारम्भिक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्रारम्भिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष होगा।
- जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी किसी जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होगा ।
- कार्यकारी समिति किसी विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के प्रबंध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबंधन समिति होगी।
- विद्यालय प्रबंध समिति से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित एक समिति होगी।
- विद्यालय मान-चित्रण सामाजिक संबंध और भौगोलिक दूरी पर नियंत्रण के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना आवश्यक होगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय होना आवश्यक हैं।

अध्याय-2- विद्यालय प्रबंध समिति SMC/SDMC

धारा 3-विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य

गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा।

इस School Management Committee में न्यूनतम 16 सदस्य होंगे। जिसमें एसटी एससी के सदस्य भी होने चाहिए। तथा इस समिति में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत होगी। तथा एक माह में कम-से-कम एक बैठक आयोजित करना अभिप्रेत हैं।

उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

क. विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता-पिता/संरक्षक।

ख. विद्यालय में कार्यरत अध्यापक।

ग. स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित हैं, से निर्वाचित जनप्रतिनिधि

घ. स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम/वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित हैं, में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य हैं।

उस विद्यालय का एक विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।

विधायक का द्वारा एक मनोनीत सदस्य इसके अलावा कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव होंगे। उक्त समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। SMC की साधारण समिति की तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित हो। धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी,

नोट – प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नही दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी "राजस्थान 3rd Grade Level – 2 (REET मुख्य परीक्षा)" में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप "INFUSION NOTES" के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें – 8233195718, 8504091672, 9694804063, 9887809083,

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम –

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -I, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

FREE SAMPLE

राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें –

RAS PRE. – https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s

VDO PRE. – https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari – https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

FREE SAMPLE

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE	Website- https://bit.ly/3rd-grade-mains-notes
PHONE NUMBER	+918504091672 9887809083 +918233195718 9694804063
TELEGRAM CHANNEL	https://t.me/infusion_notes
FACEBOOK PAGE	https://www.facebook.com/infusion.notes
WHATSAPP करें	https://wa.link/hx3rcz

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO